न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 179 / 2024 GCMS NO. 2024/390 उनवानी राजपाल सिंह आदि बनाम जयपाल सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत नाम दुरूस्ती	
25.11.2024	पत्रावली पेश हुई। आवाज पर अधिवक्ता वादीगण उपस्थित आये। अधिवक्ता वादीगण के निवेदन पर बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। वादीगण ने हस्तगत वाद पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा है वाके ग्राम गाडराटा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या 129, 188, 189 में वादीगण के नाम के आगे उनके पिता का नाम बाल सिंह के स्थान पर बालू सिंह, खाता संख्या 155 में बाघ सिंह के स्थान पर बालू सिंह तथा राजस्व ग्राम प्रतिभानगर की जमाबन्दी संवत 2075–78 के हाल खाता संख्या 50 में वादीगण के पिता का नाम बाल सिंह पुत्र बिरजू सिंह के स्थान पर बालू सिंह पुत्र विजय सिंह घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि राजस्व ग्राम गाडराटा पटवार गाडराटा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 129, 188, 189 में वादीगण के पिता का नाम बाल सिंह एवं खाता संख्या 155 में बाघ सिंह तथा राजस्व ग्राम प्रतिभानगर के खाता संख्या 50 में वादीगण के पिता का नाम बाल सिंह पुत्र बिरजू सिंह दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के समस्त पहचान दस्तावेजात् में **बालू सिंह** दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार खेतड़ी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर उपस्थित मौजिज व्यक्तियों से पूछ–ताछ करने पर लोगों द्वारा बताया गया है कि वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जबकि वादीगण के पिता का वास्तविक नाम बालू सिंह पुत्र विजय सिं है। तहसीलदार खेतड़ी ने वादीगण के पिता का नाम बाल सिंह पुत्र विजय सिंह शुद्ध करने की अभिशंषा की है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व / 2024 / 917 दिनांक 23.08.2024 में की गई अनुशंषा के आधार पर वादीगण का हस्तगत वाद पत्र स्वीकार कर हाल राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा –: **आदेश** :– अतः वादीगण का हस्तगत वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम गाडराटा पटवार हल्का गाडराटा की हाल जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या **188, 189** में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि **राजपाल सिंह, केशर सिंह, रणजीत सिंह, धर्मपाल सिंह, पुत्रान बाल सिंह** के स्थान पर **राजपाल सिंह, केशर सिंह, रणजीत सिंह, धर्मपाल सिंह, पुत्रान बालू सिंह** व खाता संख्या 129 **राजपाल सिंह, केशर सिंह, रणजीत सिंह, धर्मपाल सिंह, कृष्णा, कोशल्या पुत्र / पुत्रीया बाल सिंह** के स्थान पर **राजपाल सिंह, केशर सिंह, रणजीत सिंह, धर्मपाल सिंह, कृष्णा, कोशल्या पुत्र / पुत्रीया बालू सिंह** तथा खाता संख्या 155 में **राजपाल सिंह,**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dh
Date: 2024.12.09 17:39:02 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

केशर सिंह, रणजीत सिंह, धर्मपाल सिंह, **पुत्रान बाघसिंह** के स्थान पर **राजपाल सिंह, केशर सिंह, रणजीत सिंह, धर्मपाल सिंह, पुत्रान बालू सिंह** तथा राजस्व ग्राम प्रतिभानगर के खाता संख्या 50 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि **बालसिंह पुत्र बिरजूसिंह** के स्थान पर **बालू सिंह पुत्र विजय सिंह** शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो, तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

(बन्शीधर योगी)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:39:02 IST
Reason: SelfAttested